उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–27/2015–16

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो

बनाम्

मेसर्स नन्दिनी इंटरप्राईजेज

–: आदेश :–

21.07.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स नन्दिनी इंटरप्राईजेज, प्रो0 नवीन चन्द्र कुमार, पिता–श्री भोला प्रसाद रजक सेक्टर–2/डी0, क्वा0नं0–3–283, स्ट्रीट–5, बी0एस0सिटी, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दख़ल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षो को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा चास, थाना–चास जिला बोकारो के अंतगर्त खाता सं0–24 एवं 26 के प्लॉट सं0–1017 एवं 1367 रकवा–4.50 डी0, खाता सं0–94 प्लॉट सं0–4221 रकवा–7 डी0, तथा मौजा– लुकैया थाना सं0–67, पेटरवार के खाता सं0–43 प्लॉट सं0–193 रकवा–14.50 डी0 एवं पुनः खाता सं0–43 प्लॉट सं0–193 रकवा–14.50 डी0) को गिरवी रखते हुए 30,00,000.00 (तीस लाख) रूपये मात्र का बैंक से ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–31.12.2014 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि उनका व्यापार नहीं चला, जिसके कारण वह ऋण की राशि नहीं वापस कर पा रहे है। उनके द्वारा ऋण की राशि को भुगतान के लिए समय की माँग की गई।

दोनो पक्षों की दलील, अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। जबकि इस न्यायालय के द्वारा विपक्षी को किस्त बनाकर ऋण चुकाने के लिए बैंक को प्रस्ताव देने का भी निदेश दिया गया था। उसके बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास/बेरमों(तेनुघाट) आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	21.07.18 उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.28 17:15:19 +05:30
Location: 192.168.1.103